अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/60

श्रीमती प्रेम बाई पत्नी श्री सीताराम जाति कुम्हार उम्र 45 साल निवासी सेठों की गली मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलार्थी

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हनुमान प्रसाद आत्मज चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सीताराम आत्मज श्री चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 29.09.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 119/दावा/2013

राधेश्याम आत्मज चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---वादी

बनाम

1. सीताराम आत्मज श्री चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हनुमान प्रसाद आत्मज चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती प्रेम बाई पत्नी श्री सीताराम जाति कुम्हार उम्र 45 साल निवासी सेठों की गली मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार – 2017 द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 29.09.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 04.07.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिनोर एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री जाकिर मो0, श्री संदीप जांगिड के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.05.2017 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 29.09.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है

यह डिक्री आज तारीख 04.07.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/60

श्रीमती प्रेम बाई पत्नी श्री सीताराम जाति कुम्हार उम्र 45 साल निवासी सेठों की गली मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. राधेश्याम आत्मज चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. हनुमान प्रसाद आत्मज चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सीताराम आत्मज श्री चतुर्भुज जाति कुम्हार निवासी ग्राम मण्डाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री योगेन्द्र सिनोर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2 श्री जाकिर मो0, श्री संदीप जांगिड, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 04.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार – 2017 द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 29.09.217 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 राधेश्याम ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम हरिपुरा की आराजी खसरा नम्बर 28 की रकबा 1.32 हैक्टर भूमि एवं ग्राम रावठा की आराजी खसरा नम्बर 169 की रकबा 1.87 हैक्टर भूमि कुल 19 बीघा 07 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादी एंव प्रतिवादी कम 1 व 2 तीनो का संभाग से 1/3 – 1/3 हिस्सा है । वादी अपने हिस्से की भूमि का पृथक विभाजन करवाकर अपने खाते में पृथक दर्ज कराने की अधिकारी है ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जावे तथा विभाजन में प्राप्त भूमि वादी के खातेदारी में पृथक दर्ज की जावे तथा प्रतिवादीगण

को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के हिस्से की भूमि 1/3 को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 29.09.2017 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए वादी को वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 29.09.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 3 प्रेमबाई अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 09.01.2018 को वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी भी हिन्दू महिला को प्राप्त सम्पत्ति आत्यंतिक होती है जिसका वो अपनी इच्छानुसार उपयोग–उपभोग कर सकती है तो चाहे उसे विरासत से प्राप्त हुई हो या स्वअर्जित हो । इसलिए अपीलान्ट उक्त भूमि की पूर्ण स्वामिनी है इसलिए उक्त निर्णय एवं डिक्री खारिज होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को तामील करवाये बिना ही उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से उक्त निर्णय एंव डिक्री निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के पक्ष में की गई वसीयत दिनांक 01.03.2013 को आज दिन तक भी किसी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है एवं उक्त वसीयत के सम्बन्ध में एक वाद सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन है । इसलिए भी बिना सिविल न्यायालय के आदेश के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं डिक्री सर्वथा तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री निरस्त फरमाया जावे।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पत्ति में जिसमें उनकी समस्त विधिक सन्तानों के समानुपातिक अधिकार निहित होते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य उनके हिस्से अनुसार विधिवत रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की

है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.05.2017 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 29.09.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने से साबित है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के माता–पिता की भूमि है जिसमें प्रत्येक विधिक वारिसान का बराबर–बराबर हक हिस्सा होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.05.2017 एवं संशोधित निर्णय दिनांक 29.09.2017 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा